293

न्यायालय:- श्रीमान सदस्य महोदय राजस्व मंडल ग्वालियर

R 4384-PBR/16

अनंतराम तनय हरीराम राय
निवासी ग्राम झांगरी तह० बण्डा जिला सागर

– आवेदक

//विरूद्ध//

शिवराज आयु 30 वर्ष तनय मुलायम रेन
निवासी ग्राम झांगरी तह० बण्डा जिला सागर

– अनावेदक

पुनरीक्षण आवेदन अंतर्गत धारा 50 म.प्र.भू.रा.सं.

आवेदक की ओर से प्रार्थना है :-

1. यहकि आवेदक माननीय अधिनस्थ न्यायालय श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय बण्डा के अपील प्र.क्र. 86अ-56 वर्ष 2015-16 मे पारित आदेश दिनांक 9.11.16 से परिवेदित होकर माननीय न्यायालय के समक्ष पुनरीक्षण आवेदन प्रस्तुत करता है ।

//पुनरीक्षण के मुख्य आधार//

2. यहकि अनावेदक द्वारा माननीय अधिनस्थ न्यायालय के समक्ष श्रीमान तहसीलदार महोदय बण्डा के प्रकरण क्रमांक अ/अ/56 वर्ष 15-16 मे पारित आदेश 28.5.16 के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की है जिसमे आवेदक पुनरीक्षणकर्ता को सुनवाई का अवसर प्रदान किये बिना आदेश पारित किया जो अवैध होने से निरस्तनीय है ।

3. यहकि माननीय अधिनस्थ न्यायालय द्वारा दिन दिनांक 9.11.16 को आवेदक के अनुपस्थित बताकर उसके विरूद्ध एक पक्षीय आदेश पारित किया जो अवैध होने से निरस्तनीय है जबकि आवेदक पुनरीक्षणकर्ता उसके पूर्व पेशीयो पर न्यायालय मे -

राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश – ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक 4384-एक/2016 निगरानी जिला सागर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ता.
31-1-17	यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी , बण्डा जिला सागर के प्रकरण कमांक 86 अ-56/2015-16 अपील में पारित आदेश दिनॉक 9-11-16 के विरूद्व मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई हैं 2/ निगरानी की प्रचलनशीलता पर आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्क सुने गये तथा प्रस्तुत अभिलेख का अवलोकन किया गया। 3/ आवेदकगण के अभिभाषक के प्रारंभिक तर्को पर विचार करने एंव अनुविभागीय अधिकारी , बण्डा जिला सागर के प्रकरण कमांक 86 अ-56/2015-16 अपील में पारित आदेश दिनॉक 9-11-16 के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनुविभागीय अधिकारी ने अपील प्रकरण में विचारण न्यायालय अभिलेख आने पर अपीलांट अभिभाषक के 9-11-16 को अंतिम तर्क श्रवण किये गये, किन्तु इसी प्रतिअपीलांट के मय अभिभाषक उपस्थित होने के कारण उन्हें अपील मेमो की प्रति दिलाते हुये आगामी पेशी नियत कर लिखित तर्क प्रस्तुत का अवसर दिया है एंव आगामी पेशी 22-11-16 नियत की है। साथ ही 22-11-16 को उभय	

पक्ष के अभिभाषक के उपस्थित रहने पर प्रकरण आगामी पेशी पर तर्क हेतु नियत किया हैं , जिसके कारण अनुविभागीय अधिकारी के अंतरिम आदेश दिनांक 9-11-16 में किसी प्रकार की त्रृटि परिलक्षित नहीं है । ऐसा आभाषित है कि आवेदक ने प्रकरण में विलम्ब कराने के उद्वेश्य से यह निगरानी प्रस्तुत की है जिसके कारण निगरानी सारहीन पाये जाने से इसी-स्तर पर अमान्य की जाती है।

सदस्य